कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ

पत्रांकः 118 /उ0प्र0सू0आ0/रा0मु0सू0आ0/2025 दिनांकः 29 मई, 2025

कार्यालय आदेश (संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में दिनांक 21.01.2025 को जारी कार्यालय आदेश जिसके माध्यम से उ0प्र0 सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुकत तथा राज्य सूचना आयुक्त के मध्य विभिन्न मण्डलों/जनपदों तथा शासन के विभागों से सम्बन्धित शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई विषयक कार्य–आवण्टन निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में श्री गिरिजेश कुमार चौधरी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या–एस–3 के दिनांक 23.05.2025 को आकस्मिक निधन हो जाने के कारण सुनवाई कक्ष संख्या–3 रिक्त हो गयी है। अतः सुनवाई कक्ष संख्या–एस–3 के रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त सुनवाई के कार्यों की सुनवाई के प्रभावित होने के दृष्टिगत मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या–एस–3 को आवंटित मण्डल/जनपद/ विभाग को अन्यत्र सुनवाई कक्ष में निम्नवत् स्थानान्तरित किया जाता हैः–

सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
श्री स्वतंत्र प्रकाश राज्य सूचना आयुक्त	एस-6	**अलीगढ़ मण्डल** 1. अलीगढ़ 2. हाथरस 3. एटा 4. कासगंज **कानपुर मण्डल** 1. कानपुर नगर 2. कानपुर देहात 3. औरैया 4. इटावा 5. फर्रूखाबाद 6. कन्नौज	1. ऊर्जा विभाग। 2. कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग। 3. कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग। 4. आबकारी विभाग। 5. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग। 6. नगर विकास विभाग। 7. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग। 8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। 9. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 10. पर्यटन विभाग। 11. प्रोटोकाल विभाग। 12. उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग। 13. उच्च शिक्षा विभाग। 14. सतर्कता विभाग। 15. कृषि विभाग। 16. नागरिक सुरक्षा विभाग। 17. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमाप विभाग। 18. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग। 19. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

श्री राकेश कुमार **राज्य सूचना आयुक्त।**	**एस-10**	**<u>प्रयागराज मण्डल</u>** 1. प्रयागराज 2. कौशाम्बी 3. प्रतापगढ़ 4. फतेहपुर **<u>सहारनपुर मण्डल</u>** 1. सहारनपुर 2. मुजफ्फरनगर 3. शामली **<u>चित्रकूट मण्डल</u>** 1. बाँदा 2. चित्रकूट 3. हमीरपुर 4. महोबा	1. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। 2. सचिवालय प्रशासन विभाग। 3. सामान्य प्रशासन विभाग। 4. औद्योगिक विकास विभाग। 5. सहकारिता विभाग। 6. श्रम विभाग। 7. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। 8. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। 9. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

उक्त निर्गत आदेश दिनांक 21.01.2025 में उपरोक्त तालिका के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुए जनहित में सुनवाई कक्ष संख्या–एस–3 में आवंटित **''कानपुर मण्डल''** को सुनवाई कक्ष संख्या–एस–6 एवं सुनवाई कक्ष संख्या–एस–6 में आवंटित **''चित्रकूट मण्डल''** को सुनवाई कक्ष संख्या–एस–10 को आवंटित किया जाता है। उक्त विभाग से सम्बन्धित पूर्व/ वर्तमान/भविष्य लम्बित एवं दर्ज अपीलों/शिकायतों की सुनवाई आदेश जारी होने की तिथि से सुनवाई कक्ष उक्त सुनवाई कक्षों में की जायेगी।

<u>नोटः-</u>

1. उक्त आदेश समस्त आफलाईन एवं आनलाईन प्राप्त होने वाली/लम्बित शिकायतों/अपीलों/रिकॉल प्रार्थना पत्र पर समान रूप से लागू होगा।
2. उ0प्र0 शासन के किसी विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय/आयुक्त कार्यालय/परिषद/आयोग/संस्थान/परियोजना/निगम के मुख्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर उन्हीं सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की जायेगी, जिन्हें वह विभाग आवण्टित किया गया है।
3. उ0प्र0 शासन के किसी विभाग से सम्बन्धित किसी क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहां उक्त क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय स्थित है।
4. नगरीय व ग्रामीण स्थानीय निकायों व नगरीय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित शिकायत या अपील उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहां प्रश्नगत स्थानीय निकाय या नगरीय विकास प्राधिकरण स्थित है।

5. समस्त सम्बन्धित सुनवाई कक्षों के पेशकार/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य-आवण्टन के अनुसार आवण्टित मण्डलों/जनपदों तथा विभागों की पत्रावलियां सम्बन्धित सुनवाई कक्ष में क्रमशः तिथिवार प्रेषित करना और प्राप्त करना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। उपरोक्त पत्रावलियों में अग्रेत्तर कोई भी कार्यवाही या सुनवाई इस कार्य-आवण्टन आदेश के अन्तर्गत प्राप्त क्षेत्राधिकार वाले सुनवाई कक्ष द्वारा ही की जाएगी।

6. एन.आई.सी. टीम एवं कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में समस्त औपचारिकताएं 02 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त।

पत्रांक एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. सचिव / संयुक्त निबन्धक/ उपसचिव/ प्रशासनिक अधिकारी/वित्त अधिकारी/ शोध अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग।
8. समस्त पेशकार/आशुलिपिक, उ0प्र0 सूचना आयोग।
9. डाक प्राप्ति अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
10. नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
11. कम्प्यूटर अनुभाग एवं कैटस डेवेपमेंट टीम को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को आयोग की साइट पर प्रदशित किया जाना सुनिश्चित करें।
12. पत्रावली हेतु।

29/08/25

(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार

कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ

पत्रांकः 95/उ0प्र0सू0आ0/रा0मु0सू0आ0/2025 दिनांकः 05 मई, 2025

कार्यालय आदेश (संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में दिनांक 21.01.2025 को जारी कार्यालय आदेश जिसके माध्यम से उ0प्र0 सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुकत तथा राज्य सूचना आयुक्त के मध्य विभिन्न मण्डलों/जनपदों तथा शासन के विभागों से सम्बन्धित शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई विषयक कार्य–आवण्टन निर्गत किये गये थे।

उक्त निर्गत आदेश दिनांक 21.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए सुनवाई कक्ष संख्या–एस–9 में आवंटित "सूचना विभाग" को जनहित में सुनवाई कक्ष संख्या–एस–2 को आवंटित किया जाता है। उक्त विभाग से सम्बन्धित पूर्व एवं वर्तमान में दर्ज अपीलों/शिकायतों की सुनवाई आदेश जारी होने की तिथि से सुनवाई कक्ष संख्या–एस–2 में की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. सचिव / संयुक्त निबन्धक/ उपसचिव/ प्रशासनिक अधिकारी/वित्त अधिकारी/ शोध अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग।
8. समस्त पेशकार/आशुलिपिक, उ0प्र0 सूचना आयोग।
9. डाक प्राप्ति अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
10. नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
11. कम्प्यूटर अनुभाग एवं कैटस डेवेपमेंट टीम को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को आयोग की साइट पर प्रदशित किया जाना सुनिश्चित करें।
12. पत्रावली हेतु।

05/05/25
(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार

कार्यालय आदेश (संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तगण के मध्य विभिन्न मण्डलों/जनपदों तथा शासन के विभागों से संबंधित शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई विषयक कार्य-आवण्टन आदेश दिनांक 13-03-2024 को निर्गत किया गया था।

उक्त कार्य-आवण्टन आदेश दिनांक 13-03-2024 के पश्चात् पुनः दिनांक 18-03-2024 को समस्त सुनवाई कक्षों के मध्य संशोधित कार्य आवंटन किया गया था। आयोग में वर्तमान में लम्बित/प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों, अपीलों/रिकॉल से संबंधित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के आशय से लम्बित वादों की संख्या को सभी सुनवाई कक्षों में यथासम्भव सीमा तक समान करने के दृष्टिगत, दिनांक 18-03-2024 को निर्गत कार्य-आवण्टन आदेश में आंशिक आवश्यक संशोधन करते हुये, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तगण के मध्य मण्डलों/जनपदों एवं शासन के विभागों से सम्बन्धित संशोधित कार्य-आवण्टन आदेश दिनांक 25-09-2024 को पारित किया गया था।

उपर्युक्त पुनः दिनांकित 25-09-2024 में आंशिक संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त पारित कार्यालय आदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् संशोधित आदेश किया जाता है-

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
डॉ0 राज कुमार विश्वकर्मा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	एस-01		1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत विभाग । 3. मुख्य सचिव कार्यालय। 4. गृह विभाग। 5. प्रशासनिक सुधार विभाग। 6. नियुक्ति विभाग। 7. कार्मिक विभाग। 8. चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग। 9. न्याय विभाग। 10. वित्त विभाग। 11. गोपन विभाग। 12. नियोजन विभाग। 13. नागरिक उड्डयन विभाग। 14. राज्य सम्पत्ति विभाग। 15. राजस्व विभाग। 16. लोक निर्माण विभाग।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
			17. वे मण्डल या जनपद या विभाग जो किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को आवंटित नहीं है। उपर्युक्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों/संस्थाओं से संबंधित शिकायतों व अपीलों पर भी सुनवाई की जाएगीः- 1. लोक सेवा आयोग। 2. लोकायुक्त कार्यालय। 3. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। 4. राज्य सूचना आयोग। 5. मा0 उच्च न्यायालय, समस्त जनपद न्यायाधीश व अधीनस्थ न्यायालय।
श्री सुधीर कुमार सिंह राज्य सूचना आयुक्त	एस-02	<u>आगरा मण्डल</u> 1. आगरा 2. मथुरा 3. फिरोजाबाद 4. मैनपुरी <u>वाराणसी मण्डल</u> 1. वाराणसी 2. चन्दौली 3. गाजीपुर 4. जौनपुर	1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 2. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। 3. समग्र ग्राम्य विकास विभाग। 4. पशुधन विभाग। 5. खाद्य एवं रसद विभाग। 6. धर्मार्थ कार्य विभाग। 7. प्राविधिक शिक्षा विभाग। 8. निजी पूंजी निवेश विभाग। 9. लोक सेवा प्रबन्धन विभाग। 10. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौपा जाये।
श्री गिरजेश कुमार चौधरी राज्य सूचना आयुक्त।	एस-03	<u>कानपुर मण्डल</u> 1. कानपुर नगर 2.कानपुर देहात 3. औरैया 4. इटावा 5. फर्रूखाबाद 6. कन्नौज	1. उच्च शिक्षा विभाग। 2. सतर्कता विभाग। 3. कृषि विभाग। 4. नागरिक सुरक्षा विभाग। 5. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमाप विभाग। 6. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग। 7. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
डॉ0 दिलीप कुमार अग्निहोत्री राज्य सूचना आयुक्त	एस-04	<u>गोरखपुर मण्डल</u> 1. गोरखपुर 2. देवरिया 3. कुशीनगर 4. महराजगंज <u>देवीपाटन मण्डल</u> 1. गोण्डा 2. श्रावस्ती 3. बलरामपुर 4. बहराइच	1. रेशम विकास विभाग। 2. युवा कल्याण विभाग। 3. विकलांग जन विकास विभाग। 4. ग्राम्य विकास विभाग। 5. वाह्य सहायतित परियोजना विभाग। 6. परती भूमि विकास विभाग। 7. भाषा विभाग। 8. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री पदुम नारायण द्विवेदी राज्य सूचना आयुक्त	एस-05	<u>लखनऊ मण्डल</u> का लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली एवं हरदोई जनपद।	1. संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन विभाग। 2. राजनैतिक पैंशन विभाग। 3. निर्वाचन विभाग। 4. विधायी विभाग। 5. संसदीय कार्य विभाग (विधान सभा सचिवालय एवं विधान परिषद सचिवालय सहित)। 6. होमगार्ड्स विभाग। 7. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग। 8. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग। 9. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री स्वतंत्र प्रकाश राज्य सूचना आयुक्त	एस-6	<u>अलीगढ़ मण्डल</u> 1. अलीगढ़ 2. हाथरस 3. एटा 4. कासगंज <u>चित्रकूट मण्डल</u> 1. बाँदा 2. चित्रकूट 3. हमीरपुर 4. महोबा	1. ऊर्जा विभाग। 2. कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग। 3. कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग। 4. आबकारी विभाग। 5. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग। 6. नगर विकास विभाग। 7. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग। 8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। 9. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 10. पर्यटन विभाग। 11. प्रोटोकाल विभाग। 12. उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग। 13. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
श्री मोहम्मद नदीम राज्य सूचना आयुक्त	एस-07	<u>मुरादाबाद मण्डल</u> 1. मुरादाबाद 2. अमरोहा 3. सम्भल 4. रामपुर 5. बिजनौर <u>बस्ती मण्डल</u> 1. बस्ती 2. संतकबीरनगर 3. सिद्धार्थनगर <u>रज्जू भईया विश्वविद्यालय से संबंधित कुल 217 पत्रावलियां।</u> **नोटः-** सुनवाई कक्ष संख्या एस-10 द्वारा दी गयी सूची के अनुसार	1. पर्यावरण विभाग। 2. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग। 3. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। 4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। 5. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 6. संस्कृति विभाग। 7. कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग। 8. समाज कल्याण विभाग। 9. अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग। 10. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री राजेन्द्र सिंह राज्य सूचना आयुक्त।	एस-08	<u>झांसी मण्डल</u> 1. झाँसी 2. ललितपुर 3. जालौन <u>बरेली मण्डल</u> 1. बरेली 2. पीलीभीत 3. शाहजहांपुर 4. बदायूँ <u>आजमगढ़ मण्डल</u> 1. आजमगढ़ 2. बलिया 3. मऊ	1. परिवहन विभाग। 2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। 3. वस्त्रोद्योग विभाग। 4. अवस्थापना विकास विभाग। 5. महिला एवं बाल विकास विभाग। 6. बेसिक शिक्षा विभाग। 7. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्रीमती शकुन्तला गौतम राज्य सूचना आयुक्त	एस-9	<u>अयोध्या मण्डल</u> 1. अयोध्या 2. बाराबंकी 3.अम्बेडकरनगर 4. सुलतानपुर	1. वन विभाग। 2. खेल विभाग। 3. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। 4. दुग्ध विकास विभाग। 5. समन्वय विभाग।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
		5. अमेठी **मिर्जापुर मण्डल** 1. मिर्जापुर 2. भदोही 3. सोनभद्र **लखनऊ मण्डल** का उन्नाव जनपद।	6. सूचना विभाग। 7. एन0आर0आई0 विभाग। 8. माध्यमिक शिक्षा विभाग। 9. पंचायती राज विभाग। 10. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री राकेश कुमार **राज्य सूचना आयुक्त।**	**एस-10**	**प्रयागराज मण्डल** 1. प्रयागराज 2. कौशाम्बी 3. प्रतापगढ़ 4. फतेहपुर **सहारनपुर मण्डल** 1. सहारनपुर 2. मुजफ्फरनगर 3. शामली	1. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। 2. सचिवालय प्रशासन विभाग। 3. सामान्य प्रशासन विभाग। 4. औद्योगिक विकास विभाग। 5. सहकारिता विभाग। 6. श्रम विभाग। 7. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। 8. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। 9. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह **राज्य सूचना आयुक्त।**	**एस-11**	**मेरठ मण्डल** 1. मेरठ 2. गाजियाबाद 3.गौतमबुद्धनगर 4. बुलन्दशहर 5. बागपत 6. हापुड़	1. नमामि गंगे/लघु सिंचाई विभाग। 2. मत्स्य विभाग। 3. सार्वजनिक उद्यम विभाग। 4. सैनिक कल्याण विभाग। 5. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नोटः-

1. उक्त आदेश समस्त आफलाईन एवं आनलाईन प्राप्त होने वाली/लम्बित शिकायतों/अपीलों/रिकॉल प्रार्थना पत्र पर समान रूप से लागू होगा।
2. उ0प्र0 शासन के किसी विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय/आयुक्त कार्यालय/परिषद/आयोग/संस्थान/परियोजना/निगम के मुख्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर उन्हीं सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की जायेगी, जिन्हें वह विभाग आवण्टित किया गया है।

3. उ0प्र0 शासन के किसी विभाग से सम्बन्धित किसी क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहां उक्त क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय स्थित है।
4. नगरीय व ग्रामीण स्थानीय निकायों व नगरीय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित शिकायत या अपील उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहां प्रश्नगत स्थानीय निकाय या नगरीय विकास प्राधिकरण स्थित है।
5. समस्त सम्बन्धित सुनवाई कक्षों के पेशकार/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य-आवण्टन के अनुसार आवण्टित मण्डलों/जनपदों तथा विभागों की पत्रावलियां सम्बन्धित सुनवाई कक्ष में क्रमशः तिथिवार प्रेषित करना और प्राप्त करना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। उपरोक्त पत्रावलियों में अग्रेत्तर कोई भी कार्यवाही या सुनवाई इस कार्य-आवण्टन आदेश के अन्तर्गत प्राप्त क्षेत्राधिकार वाले सुनवाई कक्ष द्वारा ही की जाएगी।
6. एन.आई.सी./ टीम एवं कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में समस्त औपचारिकताएं 02 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त।

उ0 प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ

पत्र संख्या: 14 /मु0सू0आ0/कैम्प/2025 दिनांक 21 जनवरी, 2025

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
8. संयुक्त निबन्धक, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
9. उप सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
10. जनसूचना अधिकारी/वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग।
11. कार्यालय अधीक्षक, उ0प्र0 सूचना आयोग।
12. नाजिर, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
13. समस्त पेशकार/आशुलिपिक ग्रेड-1 व ग्रेड-2/अहलमद, उ0प्र0 सूचना आयोग।
14. डाक प्राप्ति अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
15. नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
16. कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन.आई.सी. टीम को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को आयोग की साइट पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
17. पत्रावली हेतु।

20/1/25

(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार

कार्यालय आदेश (संशोधित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तगण के मध्य विभिन्न मण्डलों/जनपदों तथा शासन के विभागों से संबंधित शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई विषयक कार्य-आवण्टन आदेश दिनांक 13-03-2024 को निर्गत किया गया था।

उक्त कार्य-आवण्टन आदेश दिनांक 13-03-2024 के पश्चात् पुनः दिनांक 18-03-2024 को समस्त सुनवाई कक्षों के मध्य संशोधित कार्य आवंटन किया गया था। आयोग में वर्तमान में लम्बित/प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों, अपीलों/रिकॉल से संबंधित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के आशय से लम्बित वादों की संख्या को सभी सुनवाई कक्षों में यथासम्भव सीमा तक समान करने के दृष्टिगत, दिनांक 18-03-2024 को निर्गत कार्य-आवण्टन आदेश में आंशिक आवश्यक संशोधन करते हुये, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तगण के मध्य मण्डलों/जनपदों एवं शासन के विभागों से सम्बन्धित संशोधित कार्य-आवण्टन आदेश दिनांक 25-09-2024 को पारित किया गया था।

उपर्युक्त पुनः दिनांकित 25-09-2024 में आंशिक संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त पारित कार्यालय आदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् संशोधित आदेश किया जाता है-

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
डॉ0 राज कुमार विश्वकर्मा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	एस-01		1. राज्यपाल सचिवालय। 2. मुख्यमंत्री कार्यालय एवं लोक शिकायत विभाग । 3. मुख्य सचिव कार्यालय। 4. गृह विभाग। 5. प्रशासनिक सुधार विभाग। 6. नियुक्ति विभाग। 7. कार्मिक विभाग। 8. चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग। 9. न्याय विभाग। 10. वित्त विभाग। 11. गोपन विभाग। 12. नियोजन विभाग। 13. नागरिक उड्डयन विभाग। 14. राज्य सम्पत्ति विभाग। 15. राजस्व विभाग। 16. लोक निर्माण विभाग।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
			17. वे मण्डल या जनपद या विभाग जो किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को आवंटित नहीं है। उपर्युक्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों/संस्थाओं से संबंधित शिकायतों व अपीलों पर भी सुनवाई की जाएगीः- 1. लोक सेवा आयोग। 2. लोकायुक्त कार्यालय। 3. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। 4. राज्य सूचना आयोग। 5. मा0 उच्च न्यायालय, समस्त जनपद न्यायाधीश व अधीनस्थ न्यायालय।
श्री सुधीर कुमार सिंह राज्य सूचना आयुक्त	एस-02	<u>आगरा मण्डल</u> 1. आगरा 2. मथुरा 3. फिरोजाबाद 4. मैनपुरी <u>वाराणसी मण्डल</u> 1. वाराणसी 2. चन्दौली 3. गाजीपुर 4. जौनपुर	1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 2. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। 3. समग्र ग्राम्य विकास विभाग। 4. पशुधन विभाग। 5. खाद्य एवं रसद विभाग। 6. धर्मार्थ कार्य विभाग। 7. प्राविधिक शिक्षा विभाग। 8. निजी पूंजी निवेश विभाग। 9. लोक सेवा प्रबन्धन विभाग। 10. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौपा जाये।
श्री गिरजेश कुमार चौधरी राज्य सूचना आयुक्त।	एस-03	<u>कानपुर मण्डल</u> 1. कानपुर नगर 2.कानपुर देहात 3. औरैया 4. इटावा 5. फर्रूखाबाद 6. कन्नौज	1. उच्च शिक्षा विभाग। 2. सतर्कता विभाग। 3. कृषि विभाग। 4. नागरिक सुरक्षा विभाग। 5. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमाप विभाग। 6. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग। 7. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
डॉ0 दिलीप कुमार अग्निहोत्री राज्य सूचना आयुक्त	एस-04	<u>गोरखपुर मण्डल</u> 1. गोरखपुर 2. देवरिया 3. कुशीनगर 4. महराजगंज <u>देवीपाटन मण्डल</u> 1. गोण्डा 2. श्रावस्ती 3. बलरामपुर 4. बहराइच	1. रेशम विकास विभाग। 2. युवा कल्याण विभाग। 3. विकलांग जन विकास विभाग। 4. ग्राम्य विकास विभाग। 5. वाह्य सहायतित परियोजना विभाग। 6. परती भूमि विकास विभाग। 7. भाषा विभाग। 8. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री पदुम नारायण द्विवेदी राज्य सूचना आयुक्त	एस-05	<u>लखनऊ मण्डल</u> का लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली एवं हरदोई जनपद।	1. संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन विभाग। 2. राजनैतिक पैंशन विभाग। 3. निर्वाचन विभाग। 4. विधायी विभाग। 5. संसदीय कार्य विभाग (विधान सभा सचिवालय एवं विधान परिषद सचिवालय सहित)। 6. होमगार्ड्स विभाग। 7. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग। 8. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग। 9. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री स्वतंत्र प्रकाश राज्य सूचना आयुक्त	एस-6	<u>अलीगढ़ मण्डल</u> 1. अलीगढ़ 2. हाथरस 3. एटा 4. कासगंज <u>चित्रकूट मण्डल</u> 1. बाँदा 2. चित्रकूट 3. हमीरपुर 4. महोबा	1. ऊर्जा विभाग। 2. कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग। 3. कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग। 4. आबकारी विभाग। 5. चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग। 6. नगर विकास विभाग। 7. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग। 8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। 9. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 10. पर्यटन विभाग। 11. प्रोटोकाल विभाग। 12. उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग। 13. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
श्री मोहम्मद नदीम राज्य सूचना आयुक्त	एस-07	<u>मुरादाबाद मण्डल</u> 1. मुरादाबाद 2. अमरोहा 3. सम्भल 4. रामपुर 5. बिजनौर <u>बस्ती मण्डल</u> 1. बस्ती 2. संतकबीरनगर 3. सिद्धार्थनगर <u>रज्जू भईया विश्वविद्यालय से संबंधित कुल 217 पत्रावलियां।</u> **नोटः-** सुनवाई कक्ष संख्या एस-10 द्वारा दी गयी सूची के अनुसार	1. पर्यावरण विभाग। 2. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग। 3. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। 4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। 5. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। 6. संस्कृति विभाग। 7. कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग। 8. समाज कल्याण विभाग। 9. अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग। 10. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री राजेन्द्र सिंह राज्य सूचना आयुक्त।	एस-08	<u>झांसी मण्डल</u> 1. झाँसी 2. ललितपुर 3. जालौन <u>बरेली मण्डल</u> 1. बरेली 2. पीलीभीत 3. शाहजहांपुर 4. बदायूँ <u>आजमगढ़ मण्डल</u> 1. आजमगढ़ 2. बलिया 3. मऊ	1. परिवहन विभाग। 2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। 3. वस्त्रोद्योग विभाग। 4. अवस्थापना विकास विभाग। 5. महिला एवं बाल विकास विभाग। 6. बेसिक शिक्षा विभाग। 7. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्रीमती शकुन्तला गौतम राज्य सूचना आयुक्त	एस-9	<u>अयोध्या मण्डल</u> 1. अयोध्या 2. बाराबंकी 3.अम्बेडकरनगर 4. सुलतानपुर	1. वन विभाग। 2. खेल विभाग। 3. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। 4. दुग्ध विकास विभाग। 5. समन्वय विभाग।

राज्य मुख्य/सूचना आयुक्त का नाम	आवंटित सुनवाई कक्ष संख्या	कार्य आवंटन	
		मण्डल/जनपद	शासन के विभाग
		5. अमेठी **मिर्जापुर मण्डल** 1. मिर्जापुर 2. भदोही 3. सोनभद्र **लखनऊ मण्डल** का उन्नाव जनपद।	6. सूचना विभाग। 7. एन0आर0आई0 विभाग। 8. माध्यमिक शिक्षा विभाग। 9. पंचायती राज विभाग। 10. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री राकेश कुमार **राज्य सूचना आयुक्त।**	**एस-10**	**प्रयागराज मण्डल** 1. प्रयागराज 2. कौशाम्बी 3. प्रतापगढ़ 4. फतेहपुर **सहारनपुर मण्डल** 1. सहारनपुर 2. मुजफ्फरनगर 3. शामली	1. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। 2. सचिवालय प्रशासन विभाग। 3. सामान्य प्रशासन विभाग। 4. औद्योगिक विकास विभाग। 5. सहकारिता विभाग। 6. श्रम विभाग। 7. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग। 8. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। 9. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह **राज्य सूचना आयुक्त।**	**एस-11**	**मेरठ मण्डल** 1. मेरठ 2. गाजियाबाद 3.गौतमबुद्धनगर 4. बुलन्दशहर 5. बागपत 6. हापुड़	1. नमामि गंगे/लघु सिंचाई विभाग। 2. मत्स्य विभाग। 3. सार्वजनिक उद्यम विभाग। 4. सैनिक कल्याण विभाग। 5. अन्य कार्य जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपा जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नोटः-

1. उक्त आदेश समस्त आफलाईन एवं आनलाईन प्राप्त होने वाली/लम्बित शिकायतों/अपीलों/रिकॉल प्रार्थना पत्र पर समान रूप से लागू होगा।
2. उ0प्र0 शासन के किसी विभाग के अधीन कार्यरत निदेशालय/आयुक्त कार्यालय/परिषद/आयोग/संस्थान/परियोजना/निगम के मुख्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर उन्हीं सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की जायेगी, जिन्हें वह विभाग आवण्टित किया गया है।

3. उ0प्र0 शासन के किसी विभाग से सम्बन्धित किसी क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय से सम्बन्धित शिकायत या अपील पर सुनवाई उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहां उक्त क्षेत्रीय, मण्डलीय या जनपद स्तरीय कार्यालय स्थित है।
4. नगरीय व ग्रामीण स्थानीय निकायों व नगरीय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित शिकायत या अपील उन्हीं राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनी जायेगी, जिन्हें वह जनपद आवंटित है जहां प्रश्नगत स्थानीय निकाय या नगरीय विकास प्राधिकरण स्थित है।
5. समस्त सम्बन्धित सुनवाई कक्षों के पेशकार/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य-आवण्टन के अनुसार आवण्टित मण्डलों/जनपदों तथा विभागों की पत्रावलियां सम्बन्धित सुनवाई कक्ष में क्रमशः तिथिवार प्रेषित करना और प्राप्त करना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। उपरोक्त पत्रावलियों में अग्रेत्तर कोई भी कार्यवाही या सुनवाई इस कार्य-आवण्टन आदेश के अन्तर्गत प्राप्त क्षेत्राधिकार वाले सुनवाई कक्ष द्वारा ही की जाएगी।
6. एन.आई.सी./ टीम एवं कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में समस्त औपचारिकताएं 02 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त।

उ0 प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ

पत्र संख्या: 14 /मु0सू0आ0/कैम्प/2025 दिनांक 21 जनवरी, 2025

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
8. संयुक्त निबन्धक, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
9. उप सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
10. जनसूचना अधिकारी/वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग।
11. कार्यालय अधीक्षक, उ0प्र0 सूचना आयोग।
12. नाजिर, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
13. समस्त पेशकार/आशुलिपिक ग्रेड-1 व ग्रेड-2/अहलमद, उ0प्र0 सूचना आयोग।
14. डाक प्राप्ति अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
15. नोटिस बोर्ड, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
16. कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन.आई.सी. टीम को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को आयोग की साइट पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
17. पत्रावली हेतु।

20/1/25

(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार